



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

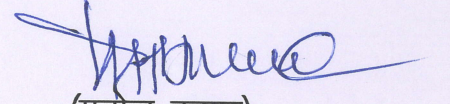
प्रो. मनोज कुमार
कुलानुशासक
Prof. Manoj Kumar
Proctor

दूरभाष/Phone : +91-7152-251878

क्रमांक : 011/2018-19/कुला/जा.क्र
दिनांक : 07.07.2020

परिपत्र

कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, वर्धा द्वारा विश्वविद्यालय के सभी छात्रावास अधिग्रहीत करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी शोधार्थियों से अनुरोध है कि वे छात्रावास खाली कर अपने-अपने गृहनगर के लिए प्रस्थान करें।


(मनोज कुमार)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. सभी छात्रावास अधीक्षक
(इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र के संबंध में शोधार्थियों को सूचित करें)
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली